राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4150/2021

प्रेमचन्द निर्मल –अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, कोटा संभाग, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.09.2021
आदेश की दिनांक : 21.04.2023
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

अपील में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 08.02.1995 के द्वारा राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 20 के अधीन वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय वेतन श्रृंखला के पद पर वेतन श्रृंखला 1400–2600 में मूल वेतन 1400/– पर दो वर्ष के परिवीक्षण काल पर की गई। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 13 पर अंकित है। अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति के पश्चात एमएससी जूलोजी की योग्यता विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सेलम (तमिलनाडू) से पास की। विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सेलम (तमिलनाडू) राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। अपीलार्थी को उक्त डिग्री प्राप्त होने के पश्चात वह व्याख्याता (जीव विज्ञान) पद पर पदोन्नति के योग्य हो गया। अपीलार्थी ने अपनी योग्यता दर्ज कराने के लिए दिनांक 15–6–2013 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो विभाग में प्राप्त हो गया। अपीलार्थी ने दिनांक 18–6–2013 को उप निदेशक (माध्यमिक) जिला कोटा को प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कर विभागीय अनुज्ञा का आदेश जारी करें। अपीलार्थी के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि एक पत्र दिनांक 5–2–2014 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को इस आशय का भेजा गया कि यह मार्गदर्शन दिया जाये कि विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सेलम (तमिलनाडू) से दूरस्थ शिक्षा में की गई एमएससी जूलोजी परीक्षा की मान्यता है अथवा नहीं। विभाग द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के ग्रुप एफ के अनुरूप व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय जीवन विज्ञान (पुरुष/महिला) वर्ष 2015–16 की रिक्तियों

के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर पे बेण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4800/– में पदोन्नति आदेश पारित किये गये इसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ श्रीमती अनुराधा सामोदिया की पदोन्नति की गई जिसकी वरिष्ठता अवधि 2006–07 है जबकि अपीलार्थी की कोटा मण्डल में वरिष्ठता क्रमांक 261 है एवं राज्य स्तर पर वरिष्ठता क्रमांक 1478 है जिसकी वरिष्ठता अवधि 99–2000 है। श्रीमती अनुराधा सामोदिया का वरिष्ठता क्रमांक 3317 है और उसकी वरिष्ठता वर्ष 2006–07 है। वह अनुसूचित जाति की सदस्य है और अपीलार्थी भी अनुसूचित जाति का सदस्य है। पदोन्नति न करके अपीलार्थी से कनिष्ठ श्रीमती अनुराधा को पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं करने का मुख्य कारण उसकी योग्यता का इन्द्राज उसके सेवाभिलेख में नहीं होना है। अपीलार्थी की योग्यता विभाग द्वारा बिना किसी उचित कारण के दर्ज नहीं की गई थी इसलिए उसके नाम पर पदोन्नति वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया जबकि अपीलार्थी उक्त पद के लिए पूर्णरूप से योग्य अभ्यर्थी था। उक्त आदेश में अपीलार्थी से अनेक कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। प्रत्यर्थीगण ने 5–3–2016 के आदेशानुसार पुनः रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने पुनः एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी योग्यता दर्ज नहीं होने के कारण उसे पदोन्नति नहीं दी गई और उसमे कई कनिष्ठों को पदोन्नति दे दी गई जिससे वे अपीलार्थी से वरिष्ठ हो गये जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 में पदोन्नति दी जाती तो वह अपने कनिष्ठों से वरिष्ठता में वरिष्ठ होता। आदेश दिनांक 15–3–2016 के द्वारा वर्ष 2015–16 की रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई जिसमें 144 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई लेकिन अपीलार्थी को लाभ नहीं दिया गया जबकि लगभग 100 से अधिक कर्मचारी उक्त सूची में अपीलार्थी से कनिष्ठ है। विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 25–8–2015 के आदेश द्वारा यह सूचित किया गया कि उसकी योग्यता उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कर ली गई है। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 6 पर है और उसकी मंडल वरिष्ठता 261 पर दर्शायी गयी है और उसकी वरिष्ठता सूची अवधि 1999–2000 दर्शायी गई है। अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पूर्णरूप से पदोन्नति हेतु योग्य था लेकिन विभाग की लापरवाही से उसकी योग्यता सेवाभिलेख में दर्ज नहीं हो सकी थी जिसमें गलती अपीलार्थी की नहीं थी, उसके लिए उसे दंड नहीं दिया जा सकता है बल्कि विभाग द्वारा पूर्व में ही योग्यता दर्ज की जानी चाहिये थी और उसे कनिष्ठों के समान वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता (जीव विज्ञान) के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिये था। विभाग का यह दायित्व था कि अपीलार्थी की योग्यता दर्ज करने के पश्चात रिव्यू डीपीसी कर अपीलार्थी को उसके कनिष्ठों के समान वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया जाता। विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं की गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी के संबंध में रिव्यू डीपीसी का आयोजन कर उसे व्याख्याता (जीव विज्ञान) पद पर पदोन्नत किया जाये। उसकी योग्यता वर्ष 2012 में हो जाने के आधार पर उसके पक्ष में जो डीपीसी वर्ष 2013–14, 2014–15 2015–16 की गई है, उसमें उसके पात्र होने के आधार पर उसके नाम पर विचार किया जाये और योग्य पाये के आधार पर परिणामिक लाभ दिये जाये जो पूर्व वर्णित अन्य कर्मचारियों को दिये गये है। विकल्प में यह भी प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी व्याख्याता (जीव विज्ञान) पद पर पदोन्नति का लाभ वर्ष 2015–16 रिक्तियों के विरूद्ध दिया जाये जैसाकि उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को चूनौती आदेश 30–7–2015, व 15–3–2016 के आदेश द्वारा दिये गये है। यह माना जाये कि अपीलार्थी को उससे कनिष्ठों के साथ ही पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी को सभी परिणामिक लाभ भी दिये जाये जो उसके कनिष्ठों को दिये गये है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा एमएससी जूलोजी विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडू से दूरस्थ शिक्षा से की गई थी। इस क्रम में संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग, कोटा के पत्रांक उनिमाशि / को / संस्था–3 / 2013 / 547 दिनांक 05.02. 2014 द्वारा निदेशालय बीकानेर से मार्गदर्शन मांगा गया कि विनायका मिशन यूनिवर्सिटी, सलेम तमिलनाडू से दूरस्थ शिक्षा में की गई एमएससी जूलोजी परीक्षा मान्यता अथवा नहीं। तत्पश्चात अपीलार्थी की योग्यता अभिवृद्धि उप निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग, कोटा आदेश उनिमाशि / को / संस्था–5 / यो.अभि. / संशो / 2015 / 145 दिनांक 25.08.2015 द्वारा कर 1999–2000 द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों (पुरुष / महिला) की मिश्रित मण्डल स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची में नामांकन किया गया। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार चयन वर्ष हेतु निर्धारित वर्गवार रिक्तियों के प्रति द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अंकित योग्यता के आधार पर निर्मित पात्रता सूची में से डीपीसी द्वारा किया जाता है। अपीलार्थी का नाम द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की वर्ष 1999–2000 हेतु निर्मित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रमांक 1478 पर दर्ज है तथा उक्त सूची में इनकी एम.एस.सी. जीव–विज्ञान की योग्यता एवं वर्ग (एस.सी.) का इन्द्राज वरिष्ठता अनुभाग के आदेश दिनांक 30.09.2015 द्वारा किया गया, जिसके आधार पर इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) जीव–विज्ञान की वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमित पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.07.2016 द्वारा नियमानुसार चयन किया गया। अभ्यर्थियों को जारी वरिष्ठता सूचियों को पहले मण्डल स्तर पर एवं बाद में राज्य स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने का दो बार अवसर

प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा संबंधित वरिष्ठता सूची में एम.एस.सी. जीव–विज्ञान की योग्यता अंकन के संबंध में निर्धारित अवधि में ना तो मण्डल स्तर पर एवं ना ही राज्य स्तर पर जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई। अतः योग्यता इन्द्राज करने संबंधि आपत्ति समय पर प्रस्तुत नहीं करने हेतु अपीलार्थी स्वयं उत्तरदायी है, इस हेतु विभाग को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी की संबंधित वरिष्ठता सूची में उनकी एम.एस.सी. जीव–विज्ञान की योग्यता एवं वर्ग (अजा) का अंकन डीपीसी वर्ष 2015–16 की बैठक दिनांक 17.07.2015 के पश्चात होने के कारण उक्त डीपीसी में इनके चयन पर कोई विचार नहीं किया गया।

दोंनो पक्षों के उपरोक्त तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 18.02.1995 (अनुलग्नक–ए3) के जरिये हुई थी। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने एम.एस.सी की योग्यता अगस्त, 2012 में प्राप्त कर ली थी। जिसके संबंध में अंकतालिका प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने दिनांक 18.06.2013 को एक प्रतिवेदन भी इस आशा से प्रस्तुत कर दिया था कि अभिलेख में योग्यता की अभिवृद्धि दर्ज की जाये। अपीलार्थी की एम.ए. की योग्यता की अभिवृद्धि प्रत्यर्थीगण ने 25.08.2015 को दर्ज की। जबकि अभिलेख की अभिवृद्धि के लिए प्रतिवेदन पूर्व में दिनांक 18.06.2013 को ही प्रस्तुत हो चुका था। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि योग्यता में अभिवृद्धि दर्ज करने में 2 वर्ष से अधिक समय की देरी की गई। योग्यता में अभिवृद्धि दर्ज नहीं होने के कारण वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के द्वारा योग्यता रखने के बाद भी अपीलार्थी का नाम वरियता सूची में नहीं जोड़ा गया। इस कारण से अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती है और बाद में अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। हमारे मत में अपीलार्थी का वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन के लिए विचार योग्य था, क्योंकि अपीलार्थी ने 2012 में ही एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसने अपनी योग्यता रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु पत्र भी दिनांक 18.06.2013 को प्रस्तुत कर दिया था।

इस प्रकार हमारे विनम्र मत में उक्त मामलें के क्रम में अपीलार्थी द्वारा विलम्ब किया जाना प्रकट नहीं होता है। बल्कि उक्त कार्यवाही में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही अनावश्यक विलम्ब किया जाना परिलक्षित होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी की वरिष्ठता

एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए रिव्यू डीपीसी बैठक आयोजित करावें और अपीलार्थी की वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध उसकी पदोन्नति पर पुनः नियमानुसार विचार कर यथोचित निर्णय लिया जावे।

आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

अनन्त भण्डारी,
सदस्य (न्यायिक)

सत्यमेव जयते